फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कपील **विपक्षी : पायरोटेक**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 87/21**

जीसीएमएस : 2021/287

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 06.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी सं. 1 को जवाब का पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में खातेदार काश्तकार होने का कथन कर खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञ जारी नहीं की जा सकने का कथन कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में दिनांक 08.09.2021 से विपक्षी सं. 1 व 2 को वादग्रस्त आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाए रखने, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करने बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण दोनो ही वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार है यदि मात्र विपक्षीगण के विरूद्व ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। मौके पर विवाद बढने की सम्भावना प्रतीत होती हैं। अतः उभय पक्ष को ही मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा आसोलिया की मादडी पटवार हल्का बोयणा की आराजी नम्बर 332, 333, 334 किता 3 रकबा 7.5272 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.07 17:04:56 IST
Reason: SelfAttested